राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प टापरा
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 475/2017

प्रार्थीगण :–

1. धरमाराम पुत्र नारणाराम
2. जोगाराम पुत्र नारणाराम
3. हरचन्दराम पुत्र नारणाराम
4. जालाराम पुत्र गिरधारीराम सभी जाति जाट निवसी भाखरी खेडा टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राउरामम पुत्र गुणाराम
2. चिमाराम पुत्र गुणाराम
3. जालाराम पुत्र गुणाराम
4. भंवराराम पुत्र गुणाराम
5. पप्पुराम पुत्र गुणाराम सभी जाति जाट निवासी भाखरीखेडा
6. दलाराम पुत्र मूलाराम जाट, नि0 आडेल
7. मूलाराम पुत्र मोटाराम
8. मोटाराम पुत्र कपुराराम
9. आम्बाराम पुत्र मसराराम
10. कमलादेवी पत्नि मूलाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी कालुडी
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक : 07.06.2018**

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार टापरा में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 193/15 रकबा 120 बीघा 00 वर्तमान ख0न0 213/15, 214/15, 215/15 मौजा भाखरी खेडा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 10 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रथम सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....टापरा

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को सम्मन बाद प्राप्ति की पोस्टल रसीदे पेश हुई। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता जसोल को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प टापरा

Scanned by CamScanner